



2026:AHC.9336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19817 वर्ष 2025

मोहम्मद आरिफ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राज कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना गया।
2. एक प्रारंभिक आपति इस आधार पर जताई गई है कि रिट याचिकाकर्ता एक व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता हैं और जिस तरह से राहत की मांग की गई है, वह जनहित याचिका के समान है, अतः, वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं होगी। उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता अधिकार पृच्छा रिट दायर कर सकता है।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. रिट याचिका का **निस्तारण** इस छूट के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

जनवरी 14, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।